राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3102/2024

श्रीमती शशिकला राठौड़ **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, केकड़ी।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.10.2024

आदेश की दिनांक : 15.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांपला, जिला केकडी में पदस्थापित है। अपीलार्थी की नियुक्ति विधवा परित्यकता कोटे में जुलाई, 2009 में की गई थी और दिनांक 04.07.2009 को कार्यग्रहण किया तथा वर्ष 2020 में अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति दी गई। अपीलार्थी के पति का निधन दिनांक 20.07.2008 को हुआ। उनका कथन है कि अपीलार्थी के दो पुत्र हैं,

जो अध्ययनरत हैं और उनकी देखभाल के लिये परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 150 कि.मी. दूर दूसरे जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बाडकोचरा जवाजा, जिला ब्यावर किया गया है। जबकि विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार विधवा महिला को परिवार के नजदीक ही पदस्थापित रखे जाने के निर्देश होने के बावजूद अपीलार्थी को दूसरे जिले में पदस्थापित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति पदस्थापन आदेश दिनांक 29.06.2024 के पश्चात् दिनांक 12.07.2024 को व बाद में संशोधित पदस्थापन आदेश जारी करते हुये नजदीकी स्थानों पर पदस्थापन किया गया है और अपीलार्थी द्वारा बार–बार निवेदन करने के बावजूद कोई विचार नहीं किया गया। जबकि जिला केकडी में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के आज भी पद रिक्त हैं। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों का पदस्थापन संशोधित आदेशों के द्वारा संशोधन करते हुये उसी जिले में पदस्थापन किया गया है जबकि अपीलार्थी के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.06.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को जिला केकडी में ही अन्य रिक्त स्थान पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थापित किये जाने के निर्देश दिये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ सहायक के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सांपला, जिला केकडी में पदस्थापित है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह

आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य